स्पीकर के पहचान हेतु वायस सैंपल के रिकार्डिंग हेतु निर्देशिका

- ⇨ विवादित वायस एवं नमूना वायस का रिकार्डिंग पुलिस थाने या पुलिस हेड क्वार्टर में अधिष्ठापित उच्च गुणवत्ता वाले रिकाडर यथा TIR (Telephone Information recorder) द्वारा विवादित वायस का नमूना लिया जा सकता है। इस यंत्र में सुविधा उपलब्ध होती है कि इसके बातचीत के समय, टेलीफोन नम्बर, अवधि के साथ के रिकार्ड होती है।
- ⇨ टेलीफोन कॉल के लिये, TIR अपराधी के टेलीफोनलाईन से सीधे जुड़ा होना चाहिये। रिकार्डिंग में 60 मिनट के रिकार्ड हेतु उच्च गुणवत्ता वाली कैसेट लगा होना चाहिए।
- ⇨ मोबाईल फोन काल को, मोबाईल से मोबाईल या टलीफोन से मोबाईल या मोबाईल से टेलीफोन रिकार्ड लिया जा सकता है। मोबाईल से मोबाईल और टेलीफोन से मोबाईल काल की स्थिति में बातचीत काल प्राप्त करने वाले मोबाईल में रिकार्ड किया जा सकता है या प्राप्त करने वाले मोबाईल से केबल जैक द्वारा कम्प्यूटर/रिकोर्डर में रिकार्ड किया जा सकता है। मोबाईल से टेलीफोन काल की स्थिति में बातचीत TIR में रिकार्ड की जा सकती है।
- ⇨ विवादित नमूने को छदम या छूपे हुये टेप रिकार्डर या ट्रॉसमोटर में लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वायस द्वारा संचालित रिकार्डर या डिजीटल पेन रिकार्डर वेहतर होती है। कभी–कभी FM ट्रॉसमिटर माइक्रोफोन का प्रयोग बातचीत को रिकार्ड करने में बेहतर साबित होती है। जिससे कि रिकाडिंग की प्रक्रिया दूर से ही की जा सके।

Specimen voice के नमूने का रिकाडिंग

- ⇨ Specimen voice की रिकार्डिंग हेतु उच्च गुणवत्ता वाली अनलॉग या डिजीटल वायस रिकार्डर को उपयोग में लाना चाहिये। यदि डिजीटल वायस रिकार्डर का प्रयोग हो रहा हो तो इसका सैम्पलिंग गति 44.1 KHz और 16 bit पर निर्धारित होनी चाहिए।
- ⇨ बातचीत/विवादित काल का ट्रासक्रिप्ट (प्रतिलिपि) बिल्कुल सही–सही होना चाहिये अर्थात जो बोला गया है, जिस भाषा में बोला गया है कि इसको सही–सही लिपिबद्ध किया जाना चाहिए।
- ⇨ Specimen आवाज के नमूने को लगभग एक ही Text (भाषा) में रिकार्ड किया जाना चाहिए।
- ⇨ Specimen नमूना, जिन व्यक्तियों का लना है, को पूर्व अनुसंधानकर्त्ता को Transcript के बारे में जानकारी होनी चाहिए यथा (बोलने की रफ्फतार और क्रिमनल के बोलने की विशेषताएँ)।

- ⇨ यदि क्रिमनल के काल को टेलिफोन लाईन के द्वारा प्राप्त किया गया है तो टेलीफोन लाइन के द्वारा रिकार्ड की जानी चाहिए।
- ⇨ अनुसंधानकर्त्ता को दिनांक, समय, स्थान, अपना नाम तथा संदिग्ध का नाम बताना चाहिये।
- ⇨ Specimen आवाज का नमूना दो स्वत्रंत गवाहों की उपस्थिति में रिकार्ड की जानी चाहिए।
- ⇨ यदि संदिग्ध पढ़ा लिखा न हो और तैयार ट्रांसक्रिप्ट को नहीं पढ़ सके तो संदिग्ध से बातचीत कर नमूना रिकार्ड किया जाना चाहिए।
- ⇨ रिकार्डिंग की पुनरावृत्ति की जानी चाहिए, जब तक ये आवश्यक हो।
- ⇨ रिकार्डिंग हेतु शांत वातावरण बनाये रखना चाहिये।
- ⇨ संदिग्ध के मुंह से मोइक्रोफोन/रिकार्डर की दूरी लगभग 30 cm होनी चाहिये। रिकार्डिंग में सुनिश्चित करना चाहिये कि आवृत्ति रेसपास लगभग एक हो या टेलीफोन लाईन से बेहतर हो।
- ⇨ अुनसंधानकर्त्ता को यदि विवादित नमूना (Question sample) के रिकोर्डिंग को वातावरण, रिकार्डिंग सिस्टम के बारे में पता हो तो ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। यदि संभव हो सके तो Specimen आवाज में इसे मेंटेन करना चाहिये और रिकार्डिंग क वातावरण तथा डिवाइस (उपकरण) के बारे में प्रयोगशाला को सूचना देनी चाहिये।
- ⇨ रिकार्डिंग प्रारम्भ करने से पूर्व संदिग्ध को Transcript के अनुरूप करना चाहिये।
- ⇨ यदि संदिग्ध सैंपल देने में मदद नहीं कर रहा हो तो, यदि जरूरी हो तो न्यायालय के आदेश द्वारा ऐसा करना चाहिये।
- ⇨ स्पीकर को माइक्रोफोन से 1 फुट की दूरी पर होना चाहिये और स्पीकर को सामान्य गति एवं तीव्रता से वोलना चाहिये।
- ⇨ तैयार किये हुये टेक्सट को पढ़ने के पूर्व यह जरूरी है कि स्पीकर के बोलने की गति में स्थायित्व लाने के लिये उसे दो मिनट तक लगातार बोलने के लिये कहा जाये। स्पीकर को न तेज गति और न धीमी गति से वल्कि सामान्य गति से बोलने/पढ़ने के लिये कहना चाहिये।
- ⇨ अनुसंधानकर्त्ता को पूरी तरह प्रयास करना चाहिये कि बैकग्रांउड Noise (आवाज) कम से कम हो जैसे रेडियो, टी0वी0 और एयर कंडीशनर, बातचीत आदि की आवाज नहीं आनी चाहिये।

- ⇨ यदि कोई स्पीकर अपनी आवाज बदलता है तो अनुसंधानकर्त्ता को फिर से वह वाक्य स्पीकर से बोलवाना चाहिये जब तक कि अनुसंधानकर्त्ता संतुष्ट न हो जाये।
- ⇨ स्पीकर के बोलने के उपरांत एवं उसके जाने के पहले रिकार्डर को Play (प्ले) कर देख लेना चाहिये ताकि यदि कोई कमो हो तो सुधार कर लिया जाये।
- ⇨ यदि कोई अन्य जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो अनुसंधानकर्त्ता को विधि विज्ञान प्रयोगशाला के साथ सम्पर्क बना कर रखना चाहिये।

<u>सावधानियॉ</u>

1. एक उच्च गुणवत्ता वाली डिजीटल वायस रिकार्डर का प्रयोग Specimen वायस के रिकार्डिंग में करना चाहिये।
2. रिकार्डिंग सिस्टम को सैंपल के वास्तविक रिकाडिंग के पूर्व अच्छी तरह से जॉच कर लेना चाहिये।
3. डिजीटल वायस रिकार्डर से वायस रिकाडिंग के उपरांत वायस सैंपल का एक सी0डी0 भी तैयार कर लेना चाहिये।
4. ओरिजनल रिकाडिंग को जॉच हेतु प्रयोगशाला में भेज देना चाहिये।
5. मेमोरी कार्ड तथा सी0डी0 जिससे क्रमशः Questioned voice तथा Specimen voice हो उन्हें अलग–अलग सील करना चाहिये।